

॥ कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करौली जिला करौली ॥

क्रमांक-1885

दिनांक 18 08 17

प्रेषिति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,  
जिला करौली।

विषय:-पुलिस जबाबदेही समिति से संबंधित सूचनाओं को पुलिस वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग:-श्रीमान पुलिस अधीक्षक, कानून-व्यवस्था, राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक-व-15(0) रा.स्म.ज.स./2017/193 दिनांक 09.08.17 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक सन्दर्भ में निवेदन है कि मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) करौली को जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। निर्देशानुसार जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति से संबंधित सूचनाओं को वेबपोर्टल पर प्रदर्शित करने के लिए श्रीमान के Login पर upload utilities menu Information of State/District police Accountability Committee उपलब्ध कराया गया है। अतः जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति से संबंधित निम्नलिखित सूचना को पुलिस वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु pdf file में upload कराने व सूचनाओं में परिवर्तन होने पर updated pdf file upload कराने हेतु प्रभारी कम्प्यूटर को निर्देशित करने की कृपा करें।

प्रपत्र जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति से संबंधित सूचना:-

1-

क्र0 सं0	समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम	समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पते	समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के टेलीफोन/फैक्स नं0
1	श्री भौरूसिंह जादौन पुत्र श्री बहादुर सिंह जादौन-अध्यक्ष	निवासी ट्रक यूनियन, करौली	9414272135
2	श्री निर्मल पुत्र श्री जयपाल मीना-सदस्य	निवासी सपोटरा जिला करौली	9828540365
3	श्री राधेश्याम गोयल-सदस्य	निवासी सूरौठ जिला करौली	9414034355
4	श्रीमति मधु जैन पत्नि मिलाप जैन-सदस्य	निवासी सायनाथ खिडकिया, करौली	9460152865
5	राजेश यादव अति0 पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) करौली-सदस्य सचिव	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) करौली	07464-250029, 9413315898

2-समिति में शिकायत दर्ज करवाने की कार्य प्रणाली:-पुलिस जवाबदेही समिति जिला करौली की निर्देशानुसार प्रत्येक माह मीटिंग आयोजित की जा रही है। पुलिस से संबंधित शिकायत यदि किसी को हो तो वह मीटिंग में समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है तथा परिवादी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी शिकायत पेश कर सकता है। इस बावत् समिति के नाम व मोबाइल नम्बरों का बोर्ड जिला करौली के सभी थानों में लगवाये गये है।

3-शिकायतों पर निर्णय लेने की कार्य प्रणाली:-शिकायत प्राप्त होने पर उक्त समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के द्वारा नियमानुसार जांच की जाकर जांच के आधार पर निर्णय लिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अभी तक जिला करौली में समिति के समक्ष कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

4-समिति का वार्षिक प्रतिवेदन:-उक्त समिति फरवरी, 2017 से कार्य कर रही है। वार्षिक प्रतिवेदन समय पर तैयार किया जावेगा।

5-दर्ज शिकायतों के संबंध में लिए गए निर्णय या की गई अनुशंषाओं की वर्तमान स्थिति:-समिति के समक्ष अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भवदीय,

अति0 पुलिस अधीक्षक,  
करौली